>

Title: Need to give justice to the families of innocent people who dies in Jammu & Kashmir in 2002.

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग): सर, मुझे इस सीट से बोलने की इज़ाजत दी जाए।

सर, वर्ष 2000 में जब बिल क्लिंटन हमारे देश में आए थे तो कश्मीर से एक बहुत बुरी खबर आयी कि मेरे इलाक अनंतनाग के चिट्टीसिंहपुरा में हमारे सिख भाइयों का कत्ले-आम हुआ। कोई 34-35 हमारे सिख भाई मारे गए। उसके पांच दिनों के बाद खबर आयी कि उन मिलिटैन्ट्स को, जो फॉरिनर्स थे, जो ऑफिशिएल रिपोर्ट आयी, वे सब-के-सब मर्सिनैरीज थे और उन्होंने हमारे सिख भाइयों का कत्ले-आम किया।

सर, कुछ ही दिनों के बाद शोर हुआ। लोग सड़कों पर आए और उनका मानना था कि वे जो पांच लोग मारे गए थे, वे फॉरिनर्स नहीं थे, वे कश्मीर के थे और वे मर्सिनैरीज नहीं थे, मिलिटैन्ट्स नहीं थे, वे अन-आर्म्ड सिविलियंस थे। सर, बहुत शोर हुआ। फ़ारूख़ साहब हुकूमत थे। तब उनकी बॉडीज एग्जह्यूम की गयीं और उन पर टैस्ट हुआ। डीएनए टैस्ट में पता चला कि वे फॉरिनर्स नहीं थे, वे लोकल्स थे। वे सिविलियंस थे, अन-आर्म्ड थे और उनका मिलिटैन्सी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद सीबीआई, जो हमारी प्रिमियम इंवेस्टीगेशन एजेंसी है, उसके पास यह केस दिया गया। उन्होंने 50 विटनेसेज एग्जामिन किए जिसमें कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट से थे, कुछ लोग सिविलियंस थे और कुछ लोग जो थे, वे स्टेट ऑफिशिएल्स थे। हमारी सीबीआई इस नतीज़े पर पहुंची कि वे वाक़ई इन्नोसेंट थे और वे पांच के पांच लोग जो मारे गए, जो अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते थे, वे इन्नोसेंट थे और वह कोल्ड-ब्लडेड मर्डर था। हमारी हाइयेस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जो रिपोर्ट है, वह बिल्कुल सही है और वह कोल्ड-ब्लडेड है।

उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को केस वापस कर दिया। अनफोर्चुनेटली आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है, क्योंकि उस वक्त हमारे वहां हालात बहुत खराब थे, वह अभी भी इनप्लेस है। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी से कहा, उसमें चार्जशीट में जो सीबीआई ने किया, उसमें नाम भी बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन पर कोर्ट मार्शल करो या इन पर क्रिमिनल प्रोसिजर्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में केस चलाओ। अनफोर्चुनेटली वह केस क्लॉज़ हुआ है। उससे काश्मीर में जो आम लोग हैं, उनको लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। ...(व्यवधान)

हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह केस टेकअप किया है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस केस को ओपन करें। सीबीआई ने इन्वेस्टीगेशन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लोगों को इंसाफ मिले। उनके जो रिलेटिव्स हैं और काश्मीर के जो लोग हैं, उनको लॉ ऑफ द लैंड और जस्टिस का जो हमारा सिस्टम है, उससे उनको इंसाफ मिले।